रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 28, 1996/आश्विन 6, 1918
No. 309] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28, 1996/ASVINA 6, 1918

SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1996
सं. 30/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 438 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल, टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 17/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. बी. 40/20/96-टी. आर. यू.]
राजीव तलवार, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या-17/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 [सा. का. नि. सं. 315 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996] द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या-27/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3 सितम्बर, 1996, [सा. का. नि. सं. 401 (अ), तारीख 3 सितम्बर, 1996] द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th September, 1996
No. 30/96-CENTRAL EXCISE

G. S. R. 438 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 17/96-Central Excises, dated the 23rd July, 1996, namely :—

In the said notification, in the Table, S. Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 and 11 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. B. 40/20/96-TRU]
RAJIV TALWAR, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. 17/96-Central Excises, dated the 23rd July, 1996 [G.S.R. No. 315 (E), dated the 23rd July, 1996] and subsequently amended vide notification No. 27/96-Central Excises, dated the 3rd September, 1996 [G.S.R. No. 401 (E), dated the 3rd September, 1996].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1996

सं. 31/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 439 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-16/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 को विखंडित करती है ।

[फा. सं. बी. 40/20/96-टी. आर. यू.]
राजीव तलवार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1996

No. 31/96-CENTRAL EXCISE

G. S. R. 439 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 16/96-Central Excises, dated the 23rd July, 1996.

[F. No. B. 40/20/96-TRU]
RAJIV TALWAR, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1996

सं. 33/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 440 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशाधन) नियम, 1996 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

उक्त नियमों में नियम 173 थ के उपनियम (1) में "यदि कोई विनिर्माता नियम 57 झ के उपनियम (4) और नियम 57 थ के उपनियम (5) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठक के स्थान पर "यदि कोई विनिर्माता अधिनियम की धारा 11 क ग और नियम 57 झ के उपनियम (4) और नियम 57 प के उपनियम (5) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जायेंगे ।

[फा. सं. बी. 40/16/96-टी. आर. यू.]
राजीव तलवार, अवर सचिव

टिप्पणी : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 31/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)तारीख 3 सितम्बर, 1996 द्वारा संशोधन किया गया जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि 404 (अ) तारीख 3 सितम्बर, 1996 के अन्तर्गत प्रकाशित की गई ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1996

No. 33/96-CENTRAL EXCISE (N.T.)

G. S. R. 440 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules), namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Excise (Eighth Amendment) Rules, 1996.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in rule 173Q, in sub-rule (1), for the words, brackets, figures and letters "Subject to the provisions contained in sub-rule (4) of rule 57I and sub-rule (5) of rule 57U", the words, figures, letters and brackets, "Subject to the provisions contained in section 11AC of the Act and sub-rule (4) of rule 57I and sub-rule (5) of rule 57U" shall be substituted.

[F. No. B. 40/16/96-TRU]
RAJIV TALWAR, Under Secy.

Foot Noot :—The Central Excise Rules, 1944 were last amended vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 31/96-Central Excises (N.T.), dated the 3rd September, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary [G.S.R. 404(E), dated the 3rd September, 1996].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1996

सं. 76/96-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 441 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-36/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80 क.	47.02	रेयन श्रेणी की काष्ठ लुगदी के अतिरिक्त सभी माल	5 प्रतिशत	—	—".

[फा. सं. बी. 40/20/96-टी. आर. यू.]
राजीव तलवार, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत का राजपत्र, असाधारण की अधिसूचना संख्या-36/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई 1996 [सा. का. नि. 288 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996] द्वारा प्रकाशित की गई और निम्नलिखित द्वारा तत्पश्चात् संशोधित की गई :—

(क) अधिसूचना सं. 54/96-सीमाशुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1996 [सा. का. नि. 334 (अ), तारीख 24 जुलाई, 1996];

(ख) अधिसूचना सं. 56/96-सीमाशुल्क, तारीख 6 अगस्त, 1996 [सा. का. नि. 354 (अ), तारीख 6 अगस्त, 1996];

(ग) अधिसूचना सं. 61/96-सीमाशुल्क, तारीख 6 अगस्त, 1996 [सा. का. नि. 380 (अ), तारीख 30 अगस्त, 1996];

(घ) अधिसूचना सं. 72/96-सीमाशुल्क, तारीख 11 सितम्बर, 1996 [सा. का. नि. 414 (अ), तारीख 11 सितम्बर, 1996];

(ङ) अधिसूचना सं. 75/96-सीमाशुल्क, तारीख 12 सितम्बर, 1996 [सा. का. नि. 420 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 1996] ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1996

NO. 76/96-CUSTOMS

G. S. R. 441 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after serial No. 80 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80A.	47.02	All goods other than rayon grade wood pulp	5%	—	—".

[F. No. B. 40/20/96-TRU]

RAJIV TALWAR , Under Secy.

Foot Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. 36/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 [G.S.R. 288 (E), dated the 23rd July, 1996] and subsequently amended by—

(a) Notification No. 54/96-Customs, dated the 24th July, 1996 [G.S.R. 334 (E), dated the 24th July, 1996];
(b) Notification No. 56/96-Customs, dated the 6th August, 1996 [G.S.R. 354 (E), dated the 6th August, 1996];
(c) Notification No. 61/96-Customs, dated the 6th August, 1996 [G.S.R. 380 (E), dated the 30th August, 1996];
(d) Notification No. 72/96-Customs, dated the 11th September, 1996 [G.S.R. 414 (E), dated the 11th September 1996];
(e) Notification No. 75/96-Customs, dated the 12th September, 1996 [G.S.R. 420 (E), dated the 12th Septemer,1996].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1996

सं. 77/96-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 442(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33), की धारा 68 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 41/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, सं. 52/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 और सं. 73/96-सीमाशुल्क, तारीख 11 सितम्बर, 1996 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले माल को तब जब उनका भारत में आयात किया जाता है, छूट देती है :—

(क) उक्त सारणी की क्रम सं. 1 के सामने विनिर्दिष्ट माल की दशा में, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष सीमाशुल्क से जितना नि:शुल्क मोल के मूल्य के भाग पर संगणित विशेष सीमा शुल्क के बराबर है ;

(ख) उक्त सारणी के क्रम सं. 2 से 11 के सामने विनिर्दिष्ट माल की दशा में, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण विशेष सीमाशुल्क से ।

परन्तु, —

(i) उक्त सारणी के क्रम सं. 3 और 4 के सामने विनिर्दिष्ट माल की बाबत, इस अधिसूचना के अधीन छूट उन शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए होगी जिनके अधीन माल उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क से या तो भागत: या पूर्णत: छूट प्राप्त है;

(ii) उक्त सारणी के क्रम संख्यांक 6 के सामने विनिर्दिष्ट माल की बाबत, छूट उन शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जिनके अधीन रहते हुए माल उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की नि:शुल्क दरों पर आयात किया जा सकेगा ।

सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन
(1)	(2)
1.	उक्त पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 98.03 के अन्तर्गत आने वाली कोई वस्तु जिसका मूल्य यात्री सामान नियम, 1994 के अधीन अनुज्ञेय निःशुल्क मौक से अधिक है;
2.	उक्त पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 98.03 के अन्तर्गत आने वाले माल जो यात्री सामान नियम, 1994 के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित है; (i) निःशुल्क पास किया जाता है ; या (ii) जिसे उन पर अनुग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;
3.	स्वर्ण और चांदी, — (1) इनमें ऐसे आभूषण भी सम्मिलित हैं (किन्तु इसमें रत्न या मोतियों से जड़े हुए आभूषण सम्मिलित नहीं हैं) जिनका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 171/94-सीमाशुल्क, सं. 172/94-सीमाशुल्क, दोनों तारीख 30 सितम्बर, 1994 की हैं, के निबंधनों के अनुसार किसी पात्र यात्री द्वारा भारत में आयात किया जाता है या परिदान लिया जाता है ; (2) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 117/94-सीमाशुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 1994 के निबंधनों के अनुसार आयात किया जाता है ।
4.	उक्त पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला सभी माल जिसे उस पर उद्ग्रहणीय उस सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (यथास्थिति, राजस्व और बैंकिंग विभाग, राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व विभाग) की किसी अधिसूचना की उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।
5.	उक्त पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला वह सभी माल जिसके मामले में उक्त पहली अनुसूची के स्तंभ 4 में सीमाशुल्क की निःशुल्क दर विनिर्दिष्ट है ।
6.	उक्त पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला वह सभी माल जिसके मामले में उक्त पहली अनुसूची के स्तंभ 5 में सीमाशुल्क की निःशुल्क दर विनिर्दिष्ट है ।
7.	उक्त पहली अनुसूची के शीर्ष या उपशीर्ष सं. 06.01, 06.02, 0806.10, 0809.40, 1209.91, 1209.99, 22.03, 2204.30, 22.06, 3105.30, 3105.40, 4011.30, 5101.11, 5101.19, 7007.11, 8802.20, 8802.30, 8802.40, 8803.10, 8803.20, 8803.30 या 9013.20 के अन्तर्गत आने वाला सभी माल ।
8.	उक्त पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 3104.30 के अन्तर्गत आने वाला पोटाशियम सल्फेट (उसे छोड़कर जिसमें K_2O भार द्वारा 52 प्रतिशत से अधिक नहीं है)।
9.	उक्त पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 8407.10, 8411.11, 8411.12, 8411.21 या 8411.22 के अन्तर्गत आने वाले विमान इंजन ।
10.	उक्त पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 8409.10 या 8411.91 के अन्तर्गत आने वाले विमान इंजनों के पूर्जे ।
11.	उक्त पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 8536.20 के अन्तर्गत आने वाले स्वचालित सर्किट ब्रेकर उन्हें छोड़कर जो निम्नलिखित में उपयोग के लिए हैं,— (1)(क) 440 वोल्ट और उससे अधिक के; या (ख) 20 एम्पीयर या उससे अधिक के विद्युत सर्किट में; (2) 1.5 किलोवाट और उससे अधिक की मोटरों सहित ।

[फा. सं. बी. 40/20/96-टी. आर. यू.]

राजीव तलवार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1996

No. 77/96-CUSTOMS

G. S. R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 68 of the Finance (No. 2) Act, 1996 (33 of 1996), and in supersessioon of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 41/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, No. 52/96-Customs, dated the 23rd July 1996 and 73/96-Customs, dated the 11th September, 1996, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table

below and falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India,—

(a) in the case of the goods specified against S. No. 1 of the said Table, from so much of the special duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 68 of the said Finance Act as is equivalent to the special duty of customs calculated on the portion of the value representing the duty free allowance;

(b) in the case of the goods specified against S. Nos. 2 to 11 of the said Table, from the whole of the special duty of customs leviable thereon under sub-section (l) of section 68 of the said finance Act.

Provided that in respect of the goods specified against,—

(I) S. Nos. 3 and 4 of the said Table, the exemption under this notification shall be subject to the conditions, if any, subject to which the goods are exempt either partially or wholly from the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act;

(II) S. No. 6 of the said Table, the exemption under this notification shall be subject to the conditions, subject to which the goods may be imported as Free rates of duty of customs, specified in section 4 of the said Customs Tariff Act.

TABLE

S. No.	Description of goods
(1)	(2)

1. Any article falling under heading No. 98.03 of the said First Schedule, the value of which exceeds the duty free allowance admissible under the Baggage Rules, 1994.
2. Goods falling under heading No 98.03 of the said First Schedule which in terms of the Baggage Rules, 1994, are,—
 (i) passed free of duty; or
 (ii) exempt from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule.
 (3) Gold and silver,—
 (1) including ornaments (but excluding ornaments studded with stones or pearls), imported into India or taken delivery by an eligible passenger in terms of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Nos. 171/94-Customs and 172/94-Customs, both dated the 30th September, 1994;
 (2) imported in terms of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117/94-Customs, dated the 27th April, 1994.
4. All goods falling within the said First Schedule, which are exempt from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule in terms of any notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of revenue and Banking, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue, as the case may be,) for the time being in force, issued under sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962.
5. All goods falling within the said First Schedule, in the case of which Free rates of duty of customs are specified in column (4) of the said First Schedule.
6. All goods falling within the said First Schedule, in the case of which Free rates of duty of customs are specified in column (5) of the said First Schedule.
7. All goods falling under heading or sub-heading Nos. 06.01, 06.02, 0806.10, 0809.40, 1209.91, 1209.99, 22.03, 2204.30, 22.06, 3105.30, 3105.40, 4011.30, 5101.11, 5101.19, 7007.11, 8802.20, 8802.30, 8802.40, 8803.10, 8803.20, 8803.30, or 9013.20 of the said First Schedule.
8. Potassium sulphate (excluding that containing not more than 52 per cent by weight of K_2O) falling under sub-heading No. 3104.30 of the said First Schedule.
9. Aeroplane engines falling under sub-heading Nos. 8407.10, 8411.11, 8411.12, 8411.21 or 8411.22 of the said first Schedule.
10. Part of aeroplane engines falling under sub-heading Nos. 8409.10 or 8411.91 of the said First Schedule.
11. Automatic circuit breakers falling under sub-heading No. 8536.20 of the said First Schedule, excluding those for use—
 (1) in electricle circuits of—
 (a) 400 volts and above; or
 (b) 20 amperes and above;
 (2) with motors of 1.5 KW and above.

[F. No. B. 40/20/96-TRU]
RAJIV TALWAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1996

सं. 78/96-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 443(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-46/96-सीमाशुल्क,तारीख 23 जुलाई, 1996 को विखंडित करती है ।

[फा. सं. बी. 40/20/96-टी. आर. यू.]

राजीव तलवार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28 September, 1996

No. 78/96-CUSTOMS

G. S. R. 443(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 46/96-Customs, dated the 23rd July, 1996.

[F. No. B. 40/20/96-TRU]

RAJIV TALWAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996